

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनताल

केस सं० 10/25

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	2/1/26	<p>पत्रावली पेश करे पश्चात्, पक्षकाराने वादी १ प्रतिवादी - को से उनका पत्रावली उपस्थित पत्रावली अधिकारी जन राज्य कार्य में पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार आगामी दिनांक ३/1/26 को पेश हो।</p>	
	३/1/26	<p>पत्रावली पेश की गई पक्ष० उप० नही है। अतः O-31R-3 CPC प्रावधान के तहत कदम पेशी, कदम धमिषी के पत्रावली खारिज करवाली जाती है। पत्रावली पेश ल शुभानुषंग दफतर दाखिल हो दर्ज नम्बर से करा हो।</p>	